दिनांकः 01-02-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा बेचने वाले 02 विक्रेता/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर प्रतिबन्धित मांझे की 350 चरखी/गिट्टू (वजन करीब 148 किलोग्राम) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **प्रतिबन्धित मांझे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम व प्रतिबन्धित मांझे के कारोबार में लिप्त विक्रेता/दुकानदार/अभियुक्तों की गिरफ्तारी** हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 31.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान जे0वी0 जैन कालेज से खाताखेडी जाने वाले रास्ते पर प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री करते हुए **विक्रेता/अभियुक्त 1. गौरव कपूर पुत्र श्याम सुन्दर निवासी गुरु तेग बहादुर स्कूल वाली गली पटेल नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को मौके से प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे के 04 गिट्टू/चरखी सहित व **अभियुक्त 2. रिहान पुत्र अतीक अहमद निवासी गली न0-5 मेहन्दी सराय थाना मण्डी सहारनपुर** को लूहानी सराय से गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्तगण की निशानदेही पर 6 गत्ते की पेटियों से कुल 350 चरखी/गिट्टू** (अभियुक्त गौरव की निशानदेही पर उसकी दुकान मजाहिर मार्केट पटेल नगर से 04 गत्ते की पेटियो में 240 चरखी(गिट्टू) व अभियुक्त रिहान की निशानदेही पर 02 गत्ते की पेटियों में 106 चरखी(गिट्टू) मौ0 बंजारान से) **प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा बरामद**। अभियुक्त रिहान का एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 60/2025 धारा 223(बी)/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त गौरव उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह चाईनीज माँझा रिहान पुत्र अतीक अहमद निवासी गली न0 5 मेहन्दी सराय थाना मण्डी सहारनपुर की दुकान से खरीद कर लाता हूँ तथा अभियुक्त गौरव कपूर उपरोक्त की निशांदेही पर जब रिहान उपरोक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो रिहान ने बताया कि मैं, कैफ के साथ मिलकर पुलिस से छिपते-छिपाते प्रतिबन्धित मांझे का कारोबार करता हूँ। हम लोगो का सारा माल कैफ के घर मौ0 बंजारान पर रखते है, मै आप लोगो को वहां रखा माल बरामद करा दूंगा। अभियुक्त रिहान की निशानदेही पर मौ0 बंजारान से प्रतिबन्धित चाईनीज माँझा बरामद किया गया तथा जो आप लोगो को देखकर अभी भागा है वही कैफ है।

अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. गौरव कपूर पुत्र श्याम सुन्दर नि0 गुरु तेग बहादुर स्कूल वाली गली पटेल नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. रिहान पुत्र अतीक अहमद निवासी गली न0 5 मेहन्दी सराय थाना मण्डी सहारनपुर

अभियुक्त गौरव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 291/22 धारा 323,324,325,506 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर

अभियुक्त रिहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 31/24 धारा 188,336 भादवि व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार चौकी प्रभारी खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री ललित कुमार चौकी प्रभारी शहादत थाना मण्डी सहारनपुर
4. हे0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी सहारनपुर
5. हे0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर
6. हे0का0 717 कपिल कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
7. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना मण्डी सहारनपुर
8. का0 1460 अंकित पँवार थाना मण्डी सहारनपुर
9. म0का0 988 मीनाक्षी थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांकः 01.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें वांछित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01अवैध तमंचा व 01 जिन्दा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 31.01.2025 को वादी श्री यामीन पुत्र घसीट्टा निवासी मौ0 गांधी कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. उस्मान उर्फ कट्टा पुत्र इकराम निवासी गाँधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. नईम उर्फ बल्ली पुत्र मोबीन निवासी अज्ञात 3. सलमान पुत्र इकराम निवासी अज्ञात 4. इकराम पुत्र इसराम निवासी अज्ञात 5. मुर्सलीन पुत्र मोबीन निवासी अज्ञात 6. मुकीम पुत्र मोबीन निवासी अज्ञात 7. मोबीन पुत्र जिन्दा शाह उर्फ फकीर निवासी अज्ञात 8. मोशीन पुत्र जिन्दा शाह उर्फ फकीर निवासी अज्ञात 9. गय्यू पुत्र जमील निवासी अज्ञात 10. महफूज पुत्र जमील निवासी अज्ञात 11. बसीर पुत्र अजीज निवासी अज्ञात तथा 8-10 व्यक्ति अज्ञात द्वारा एक राय होकर हाथो में धार-दार व लोहे की रोड लेकर जान से मारने की नियत से वादी व वादी के परिजनों सलीम पुत्र घसीट्टा, फिरोज पुत्र कल्लु तथा शाकिर पुत्र सलीम के साथ मारपीट करना तथा उस्मान उर्फ कट्टा व नईम उर्फ बल्ली के द्वारा देशी तमंचे से फायर करना जिससे शाकिर पुत्र सलीम को गोली लग जाना व जिला अस्पताल सहारनपुर ले जाते समय शाकिर की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 59/2025 धारा 3(5)/191(1)/190/109(1)/103(1)/115(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.02.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण **1. नईम उर्फ बल्ली पुत्र मोबीन निवासी मौहल्ला लहसवाडा फकीरों वाली गली कस्बा व थाना देवबन्द सहानरपुर 2. इकराम पुत्र इसराम उर्फ इस्लाम निवासी गांधी कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द सहानरपुर 3. मुर्सलीन पुत्र मोबीन निवासी मौहल्ला लहसवाडा फकीरों वाली गली कस्बा व थाना देवबन्द सहानरपुर4. मुकीम पुत्र मोबीन निवासी मौहल्ला लहसवाडा फकीरों वाली गली कस्बा व थाना देवबन्द सहानरपुर** को बडी सब्जी मंडी रोड के बाई तरफ नई बनी कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जें/निशानदेही से घटना मे प्रयुक्त, 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर एक राय होकर बताया कि हमारा यामीन के परिवार से प्लाट के विवाद को लेकर कल दिनांक 31.01.2025 को प्लाट पर कोर्ट अमीन की जॉच व पडताल करने के दौरान झगडा हो गया था तब गुस्से में हमने उनके परिवार को ललकारा तो वह भी तैश में आ गये। हमारे साथी उस्मान उर्फ कट्टा व नईम पर तमंचा थे तब हम सब ने उस्मान, सलमान, मोबीन, मोशीन, गय्यूर, महफूज समस्त निवासीगण गाधी कालोनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व बसीर पुत्र अजीज आदि ने एक साथ मिलकर यामीन के परिवार पर हमला किया था हम सभी ने उस्मान उर्फ कट्टा व नईम उर्फ बल्ली से गोली मारने को कहा था तब उस्मान उर्फ कट्टा व नईम ने गोली चलायी थी नईम के सामने शाकिर था नईम ने शाकिर को गोली मार दी थी। उसके बाद हम सब डर गये और मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. नईम उर्फ बल्ली पुत्र मोबीन निवासी मौहल्ला लहसवाडा फकीरों वाली गली कस्बा व थाना देवबन्द सहानरपुर
2. इकराम पुत्र इसराम उर्फ इस्लाम निवासी गांधी कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द सहानरपुर
3. मुर्सलीन पुत्र मोबीन निवासी मौहल्ला लहसवाडा फकीरों वाली गली कस्बा व थाना देवबन्द सहानरपुर
4. मुकीम पुत्र मोबीन निवासी मौहल्ला लहसवाडा फकीरों वाली गली कस्बा व थाना देवबन्द सहानरपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री संजय राणा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
5. हैं0का0 981 निशांत कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 742 विनोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
7. का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
8. का0 1646 दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गौकशी के मुकदमें वांछित गौकश घायल/ गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस, गौकशी के उपकरण व 01 जिन्दा गौवंश बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व शातिर गौकश अपराधियों की धऱपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक चिलकाना मय फोर्स ग्राम चोरी मंडी के पास गश्त व चैकिंग कर रहे थे,तभी ग्राम चोरी मंडी के खेतो की तरफ से किसी जानवार के रंभाने की आवाज सुनाई दी। प्रभारी निरीक्षक चिलकाना मय फोर्स के साथ लगातार आ रही किसी जानवार के रंभाने की आवाज की दिशा में खेतो की तरफ पहुँचे तो वहाँ पर एक जिंदा गोवंश पेड़ से बँधा दिखाई दिया। जैसे ही पुलिस टीम गोवंश के नजदीक पहुँची तो गोकशी करने आये व्यक्तियों ने अचानक से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया । उसके दो अन्य साथी खेतो व अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये।फरार बदमाशों की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान **इकरार पुत्र इकराम निवासी ग्राम दुमझेड़ी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** के रुप मे हुई है। घायल बदमाश को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 जिंदा गोवंश, 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा / 02 जिंदा कारतूस एंव गोकशी करने के उपरकण बरामद हुए। गिरफ्तार बदामाश के विरुद्ध थाना चिलकाना पर गोकशी,एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के जैसे गंभीर अपराधों में कुल 11 मुकदमें पंजीकृत है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0—26/25 धारा—109(1) बीएनएस एक्ट व 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि बताया कि मैं औऱ मेरे 02 साथी गौकशी का काम करते हैं तथा आवारा गौवंश मिलने पर गौवंश का वध कर काटकर मांस बेच देते हैं । कल रात में भी मैंने और मेरे साथियों ने चौरा मण्डी के जंगलों में एक आवारा सांड को पकडकर जंगल में एकान्त जगह ले जाकर कटान किया था और मांस जगह जगह पर अपनी पहचान छिपाते हुये बेच दिया था औऱ आज भी हम लोग किसी आवारा गौवंश को ढूंढ़ रहे थे कि यह गाय इसी चकरोड़ पर चरते हुये मिल गयी थी, इसे बांधकर अपने साथ में लिये कुल्हाड़ी व छुरियो से काटकर मारने वाले थे कि आप आ गये और हम लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखते हैं और पुलिस से पकडे जाने के डर से मैने व मेरे साथियो ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग और भागने लगे । मेरे दोनो साथी अंधेरे व जंगल का फायद उठाकर भाग गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इकरार उर्फ डांगरा पुत्र इकराम निवासी ग्राम दुमझेड़ी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 तमन्चा 315 बोर

01 खोखा/ 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

01 जिंदा गौवंश

गौकशी के उपकरण (01 अदद लकडी का गुटका , 01 अदद कुल्हाडी , 02 अदद छुरे, 08 प्लास्टिक के कट्टे खाली भिन्न भिन्न रंग के, एक टार्च एंव 03 रस्सी,02 पालीथीन बैग ,एक लाइटर व 502 बीडी का बण्डल बरामद

अभियुक्त इकरार उर्फ डांगरा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0—99/2017 धारा—18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0—124/2021 धारा—188/269/270 भादवि व ¾ महामारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0—148/19 धारा—3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0—152/19 धारा—3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0—162/20 धारा—3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर .
6. मु0अ0सं0—394/21 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0—482/20 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0—509/2017 धारा—8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0—280/16 धारा—3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/11पशु क्रूरता अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
10. मु0अ0सं0—25/25 धारा—3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0—26/25 धारा—109(1) बीएनएस एक्ट व 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 378 तरूण तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. है0का0 1013 राहुल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-01.02.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 01.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त सावेज पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सरुरपुर गाडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवाद संख्या 2186/23 धारा 125(3) सीआरपीसी में ग्राम सरूरपुर गाडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

सावेज पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सरुरपुर गाडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 1024 कुलदीप सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक –01.02.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 1,30,000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 31.01.2025 को वादी वादी श्री सुभाष चन्द्र धीमान पुत्र विशम्बर सिंह निवासी श्यामलालनगर कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत नौकर/अभियुक्त सन्नी पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा वादी की दुकान का ताला खोलकर गल्ले को तोडकर 1,30,000 रुपये चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 039/2025 धारा 306 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व मे दिनांक 31.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त सन्नी कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा सहारनपुर** को नकुड रोड पर हाईवे पुल के पास से समय करीब 23.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी किये हुए 1,30,000 रूपये बरामद किये गये। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछाताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै पिछले साल कस्बा सरसावा मे सुभाषचन्द्र की दूकान पर नौकरी का काम करता था लेकिन सुभाषचन्द्र ने मुझे नोकरी से निकाल दिया था जिससे मैने बदला लेने के लिए सुभाषचन्द्र धीमान लोहे की दूकान से गल्ले मे रखे 01 लाख 30 हजार रुपये चोरी कर लिये थे और चोरी किये रुपयो को मैने बुढेडा गाँव के पास एक आम के बाग मे एक काले बाजारू बैग मे रखकर एक गडडे मे दबा दिये थे जिनको मै आज निकालकर लेने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सन्नी कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

चोरी गये 1,30,000/- रूपये बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा सहारनपुर